

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/X-22-00573/2024/ 117

दिनांक:- 21/3/24

--:आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ. 15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसर/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान/एसीपी एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद(श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन श्रृंखला
1.	बादामी बिरट नर्सिंग ऑफिसर	जोधपुर	21.02.2005 म.स्वा.कार्य. नर्सिंग ऑफिसर 12.05.2015	21.02.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-12	लेवल-13
2.	किरण मुण्डेल म.स्वा.कार्य.	जोधपुर	09.09.2011	09.09.2020 9 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10
3	क्षमता मुण्डेल म.स्वा.कार्य.	जोधपुर	13.09.2011	13.09.2020 9 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10
4	सुनिता म.स्वा.कार्य.	जोधपुर	09.09.2011	09.09.2020 9 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10
5	अमरजीत कुमारी म0स्वा0कार्य0	खण्ड मु. चिकि.अधि कारी चिलवाना	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10
6	संध्या नागर म0स्वा0कार्य0	जैसलमेर	26.05.2005	26.07.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11
7	भागवन्ती म0स्वा0कार्य0	सांचौर	04.11.2011	04.11.2020 9 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12
8	सुशीला म0स्वा0कार्य0	सांचौर	02.03.2009 RajKaj Ref 6199836	02.03.2018 9 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10
9	किरण देवी म0स्वा0कार्य0	सांचौर	02.03.2009	02.03.2018 18 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10

10	अल्का चौधरी म0स्वा0कार्य0,	सांचौर	22.05.2005	22.05.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11
11	संगीता म0स्वा0कार्य0,	सांचौर	22.05.2022	22.05.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11

यदि किसी कार्मिका के 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 21/3/24

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/X-22-00573/2024/ 117

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/जैसलमेर/साचौर।
3. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6199836

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :19-03-2024 04:50:11